


**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट**  
**विज्ञप्ति**

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक-3474/एसएलएसए-23/2016 दिनांकित 30.10.2023 के द्वारा स्थायी लोक अदालत में पेशकार के पद पर नियुक्ति करने हेतु प्राप्त हुआ है। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के आदेश दिनांकित 28.02.2024 के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत हेतु (जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मियों) संविदा के आधार पर अधिकतम दो वर्ष के लिये अथवा 65 वर्ष से अधिक उम्र के न हो, निर्धारित मानदेय पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।


स्थायी लोक अदालत चित्रकूट में पेशकार के लिये एक पद रिक्त है, जिसके लिये जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम दो वर्ष के लिये चयन किया जाना है, जिनका एक निर्धारित मानदेय मु०-9,000/- रुपये प्रतिमाह पर अनुबन्धित कर कार्य कराया जायेगा जिसके लिये आवेदन चाहा गया है। इच्छुक व्यक्ति जो आवेदन करना चाहते हो, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के कार्यालय में अपना पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप पर भरकर दिनांक 15.03.2023 को सायं 05:00 बजे तक पूर्ण आवेदन सहित अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर जनपद चित्रकूट में स्वयं/डाक/जरिये ईमेल [dcchi@allahabadhighcourt.in](mailto:dcchi@allahabadhighcourt.in) / द्वारा जमा करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन करने हेतु फार्म न्यायालय की वेबसाइट <https://chitrakoot.dcourts.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांक-01.03.2024

  
प्रभारी सचिव/अपर जिला जज  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चित्रकूट।

**प्रतिलिपि -**

1. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, चित्रकूट को माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय, चित्रकूट की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
3. जिला अधिवक्ता संघ चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. दीवानी न्यायालय चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. श्रीमान जिला अधिकारी चित्रकूट को जिला कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु सादर प्रेषित।
6. जिला सूचनाधिकारी, चित्रकूट को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

  
प्रभारी सचिव/अपर जिला जज  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
चित्रकूट।

